न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 33/2016 तारीख रजू:–5.4.2016

1 श्रीमोहन पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी बडौता तहसील सपोटरा जिला करौली :–अपीलान्ट

बनाम

1 सरकार जरिये नायव तहसीलदार सपोटरा जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार सपोटरा निर्णय दिनांक 3.3.2016 मुकदमा नम्बर 957/15 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम श्रीमोहन जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलांट को राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमित रकवे के लगान की 50 गुणा शास्ति तथा तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया।

निर्णय दिनांक 15.1.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से यह अपील वकील अपीलान्ट ने पेश कर बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 3.03.2016 से अप्रश्न होकर बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को गतवर्ष मे भी अतिक्रमी मानकर पश्चावर्ती अतिक्रमी होना निर्णित करके विधि की गंभीर भूल की है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे व वर्तमान मे कोई अतिक्रमण नही किया गया है न्यायालय द्वारा आरोपित शास्ति अपीलान्ट द्वारा जमा करा दी गई है। वर्तमान मे चरागाह पर कोई अतिक्रमण नही है ना ही भविष्य मे अतिक्रमण अपीलान्ट करेगा। इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 293.2016 को हुई उसी समय नकल ली जाकर श्रीमान की सेवा मे अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रांवली तलब कर शामिल पत्रावली की गई ।

बहस बकील अपीलान्ट व पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस करते हुये अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 176 पर कोई अतिक्रमण नही है। इस बाबत अडर टेकिंग पेश कर रहा हूँ मौके पर पूर्णरूपेण किया गया अतिक्रमण हटा लिया गया है। किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस मे कथन है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया है। कि ग्राम बडौदा तहसील सपोटरा में अपीलान्ट द्वारा सम्बत 2072 खरिफ मे ईट भटटा

जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 3.3.2016 के तहत अपीलान्ट श्रीमोहन पुत्र भूरा जाति वैरवा को दी गई 90 दिवास की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि अपीलान्ट प्रशनगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है ओर भविष्य मे किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। इस बात से तहसीलदार सन्तुष्ट हो जाते है तो सिविल कारावाश की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ती से सम्बंधित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली